C-10

समावेशी विद्यालय का निर्माण

PAGE NO.
DATE :

प्रश्न :→ बहुबाधिता से आप क्या समझते हैं ? इसके प्रकारों की विवेचना करें ।

उत्तर :→ बहुबाधिता का अर्थ :→ बहुबाधिता का मतलब ऐसे बच्चों से है जो एक से अधिक प्रकार की बाधाओं से पीड़ित होते हैं जब कोई बच्चा दृष्टि बाधिता, श्रवण बाधिता तथा वाणी बाधिता हो सकता है। ऐसे बालकों को बहुबाधित बालक कहा जाता है।

बहुबाधिता की परिभाषा :→

1. सचबर्टिन के द्वारा — "बहुबाधित बालक में दो या दो से अधिक बाधिताएँ होती हैं, जिन्हें उनकी देखभाल, शिक्षा एवं भावी जीवन की योजना हेतु ध्यान में रखना होता है"

2. हैवेट एवं कोरेन्स के द्वारा — "बहुबाधित ऐसा व्यक्ति होता है, जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इन्द्रियों एवं मांसपेशियों की क्षमताएँ अद्भुत होता है अर्थात सामान्यतया ऐसा गुण दुर्लभ है। ऐसी अद्भुत दुर्लभ क्षमताएँ उसकी प्रवृत्ति तथा कार्यों के स्तर में भी हो सकती हैं। इस प्रकार के बालक प्रतिभाशाली के रूप में भी परिभाषित होते हैं। ये बालक बड़ी आसानी से अन्य बालकों के बीच पहचाने जा सकते हैं।"

इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक या एक से अधिक बाधिता वाले बच्चों को बहुबाधिता बालक कहते हैं।

इन बहुबाधित बालकों को सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा ग्रहण करने एवं अपनी योग्यताओं व क्षमताओं को विकसित करने के अधिकार प्राप्त हैं, सरकार ने अनेक संवैधानिक अधिनियमों व इसके सुधारात्मक रूपों के माध्यम से इन व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों को स्पष्ट किया है तथा बाधित व्यक्तियों के कल्याण, हेतु अनेक उपयुक्त प्रावधान एवं व लागू किए हैं —— जैसे, विकलांग जन अधिनियम 1995 सर्व शिक्षा अधिनियम - 2002, बाधित व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय नीति - 2006 आदि।

बहुबाधि के प्रकार : → इसे दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :——

1. शारीरिक रूप से बाधित बालक अन्य बाधिता के साथ
2. मानसिक रूप से बाधित बालक अन्य शारीरिक बाधिता सहित।

1. शारीरिक रूप से बाधित बालक अन्य बाधिता के साथ : → शारीरिक बाधिता के तहत अपाहिज बालक, अन्धे-बहरे बालक, बोलने में अक्षम बालक तथा कोई दूसरी लम्बी बीमारी से पीड़ित बालक शामिल हैं, जो कि शारीरिक रूप से पूर्ण सक्षम नहीं होते। इसमें बहुत सो बच्चे 20% से 60% तक बाधित होते हैं। इन बच्चों को मानसिक रूप से विकलांग नहीं माना जा सकता क्योंकि इनमें शारीरिक बाधिता होती है, लेकिन

इनमें कुछ मानसिक बाधिता भी होती है। शारीरिक बाधिता वाले बालकों को मुख्यतः दो भागों में बाँटा गया है। —

क) लंगड़े अथवा पोलियो से पीड़ित बालक। ये बालक मानसिक रूप से सक्षम होते हैं।

ख) बहरे, गूँगे, अन्धे तथा वाणी बाधित बालक। ये बच्चे शारीरिक रूप से कम बाधित होते हैं। किन्तु मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाते हैं। इनमें संकेत तथा चिन्हों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है।

2. मानसिक रूप से बाधित बालक अन्य शारीरिक बाधिता सहित — मानसिक रूप से बाधित बालक वे बालक होते हैं जो मस्तिष्क की समस्त सम्पूर्ण व्यवस्थित गतिविधियों से बाधित रहते हैं। मानसिक रूप से बाधित बालकों को दो भागों में बाँटा जा सकता है : —

क) औसत से कम बुद्धि वाले बालक

ख) कम बुद्धि वाले बालक

क) इस श्रेणी में वे बालक शामिल है, जिनकी बुद्धि-लब्धि 80-84 तक होती है।

ख) इसमें वे बालक आते हैं जिनकी बुद्धि-लब्धि 70-79 के मध्य होती है।

इसके अलावा इन्हें भी मानसिक दुर्बलता की श्रेणी में रखा जा सकता है,

जिसके अन्तर्गत जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि एवं मूर्ख बुद्धि वाले बालक आते हैं। इन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है।

C-10

समावेशी विद्यालय का निर्माण

प्रश्न :→ दृष्टि-बाधित बालकों का क्या अर्थ है? इसके मुख्य कारणों की व्याख्या करें।

उत्तर :→

दृष्टि (आँख) हमारे उन पाँच ज्ञानेन्द्रियों से मुख्य है। जिसके बिना संसार अंधकारमय दिखता है। क्योंकि हमारे आँख ही इस सुन्दर प्रकृति की छटाओं का दर्शन कराती है तथा दुनियाँ की सारी सच्चाईयों से अवगत कराती है।

दृष्टि-बाधित बालक वो कहलाते है जो कि नजदीक या दूर की वस्तुओं को स्पष्टरूप से नहीं देख पाते है। इनमें से कुछ बालक ऐसे होते होते है जो चश्मा की सहायता से देख पाते है तथा कुछ ऐसे होते है जिन्हे कुछ भी नहीं दिखता है। इनमें कुछ बालक ऐसे होते है जो विशेष रूप से मोटे अक्षरों को पढ़ सकते और कुछ ऐसे होते है जो आंशिक दृष्टि-बाधित होते है और कुछ जन्म से अंधे होते हैं। उनको कुछ भी नहीं दिखता कुछ ऐसे होते है जिनकी दृष्टि की रोशनी चोट, बीमारी दुर्घटना आदि के कारण चली जाती है।

अमेरिका के मेडिकल संघ (1934) ने दृष्टि-दोष बालकों की कानूनी परिभाषा दी है, जो इस प्रकार है, —

(1) कानूनी दृष्टि से पूर्ण दृष्टि-दोष बालक वह है जिनकी दृष्टि क्षमता सुधार के बाद बेहतर आँख से 20/200 तथा उससे कम हो।

(2) जिनकी दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20° का कोण बनाती है।

भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने (1987) ने दृष्टि-दोष बालकों को इस प्रकार से परिभाषित किया है, —

1. अपनी दृष्टि खो चुके हों।
2. दृष्टि-दोष 6/60 या 20/200 से अधिक न हो और चश्मे के प्रयोग से आँख हो।
3. दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20° कोण बनता है।

दृष्टि-दोष बालकों को हम निम्नलिखित श्रेणियों में बाँट सकते हैं :→

a. आंशिक अन्धे :—

b. अंधे :—

a. आंशिक अन्धे :→ आंशिक रूप से अन्धे वह बालक होते हैं जिनको दृष्टि-दोष होता है तथा वे दूर की वस्तुओं को दृष्टि यन्त्रों की सहायता से देख सकते हैं। आंशिक अन्धे बालकों को हम निम्नलिखित चार श्रेणियों में बाँट सकते हैं :—

(क) ऐसे बालक जिनकी दृष्टि-एक्युटी 20/70 या 20/200 के मध्य होती है।

(ख) ऐसे बालक जो गम्भीर दृष्टि सम्बन्धि कठिनाइयों से पीड़ित हैं।

(ग) ऐसे बालक जो नेत्र रोगों से पीड़ित हैं तथा यह रोग उनकी दृष्टि को प्रभावित करते हैं।

(घ) ऐसे बालक जो सामान्य मस्तिष्क वाले हैं लेकिन डॉक्टरों तथा शिक्षा-शास्त्रियों के अनुसार यह बालक

कम देखने वाले बालकों को दिए गए साधनों तथा सामान के द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं।

b. अंधे :→ ऐसे बालक जो जन्म से ही अन्धे होते हैं या जन्म के पश्चात किसी चोट, दुर्घटना, बीमारी इत्यादि कारणों से ज्योति चली जाती है ये बालक सुनकर या ब्रेल लिपि द्वारा ही पढ़ पाते हैं।

दृष्टि - बाधित के कारण :→ इसके निम्न-लिखित कारण हो सकते हैं :→

(क) वंशानुगत प्रभाव :→ कई बार यह देखा गया है कि अगर माता - पिता में ऐसा कोई दोष पाया जाता है तो बालकों भी अवश्य होगा।

(ख) संक्रामक रोग :→ अक्सर संक्रामक रोग जैसे - चेचक इत्यादि से भी यह बिमारी हो सकती है।

(ग) साधारण बीमारी :→ कभी-कभी साधारण बीमारी भी दृष्टि-दोष कारण बन जाता है।

(घ) जहर का असर :→ कई बार छोटा बच्चा घर में रखी दवाई या कोई जहरीली वस्तु को खा जाता है कि दृष्टि - दोष का कारण बन जाता है।

(ङ) जन्म से अन्धापन :→ कुछ बच्चे जन्मजात अंधे होते हैं। कुछ केसों में देखा जाता है कि

उनकी आँखे तो है लेकिन उनमें ज्योति नहीं है।

स्व) जन्म के पश्चात :→ कई बार यह भी देखा जाता है कि जन्म के उपरान्त दोष की वजह (गलतियों) से हो जाता है।